



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2019/भाद्र 1, 1941

No. 299]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2019/BHADRA 1, 1941

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

सं. एक्स-11/14/1/2019-यो.व.वि.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा विनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग-III, खण्ड-4 में अधिसूचना सं. 231, दिनांक 04 जुलाई, 2019 जिनमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ दिनांक 04 जुलाई, 2019 से सार्वजनिक उपयोग के लिए जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और प्रभावित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों से कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. इन विनियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) संशोधन विनियमावली, 2019 कहा जाएगा।
2. कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10(घ)(ii) में “क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त” शब्दों को “राज्य चिकित्सा अधिकारी” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

एस. रविचन्द्रन, अपर आयुक्त (यो.व.वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./187/19]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2019

No. X-11/14/1/2019-P&D.—Whereas draft regulation further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 was published as required under sub-section (1) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 *vide* Notification No. 231 dated the 4th July, 2019 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of Thirty days from the date on which this notification was published, are made available to the public;

And whereas, the said Gazette Notification were made available to the public on 04.07.2019;

And no objections or suggestions were received from any of the persons likely to be affected;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation, do hereby makes the following Regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, namely :—

1. These Regulations may be called Employees' State Insurance (General) Amendment Regulations, 2019.
2. In the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950, in Regulation 10(d)(ii) for the words "Regional Deputy Medical Commissioner", the words "State Medical Officer" shall be substituted.

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Ext./187/19]